रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ 2, 1939
No. 247] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2017

फा. सं. 2-4/2015 (डीईबी-III).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 26 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के खंड (ञ) के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, (कला, मानविकी, ललित कला, संगीत, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में गैर-औपचारिक/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए अनुदेशों के न्यूनतम मानक) विनियम, 1985 का अधिक्रमण करते हुए, तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा किए अथवा जिन्हें छोड़ दिया गया के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित विनियम तैयार करता है, अर्थातः –

भाग–I
प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ –

(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) इन विनियमों में मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति हेतु पद्धतियों के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर डिग्री प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रदान करने के न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया गया है, और यह आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किन्ही अन्य विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों अथवा अनुदेशों को निष्प्रभावी नहीं बनाएंगे बल्कि उनके अनुपूरक होंगे।

(3) यह विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 की खंड (च) के तहत विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों, उक्त अधिनियम के धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भेषजी, परिचर्या, वास्तुशिल्प,

(xiv) शिक्षा सत्र के साथ– साथ प्रवेश प्रक्रियाओं की अवधि तथा सत्रांत पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तिथि संबंधी ब्यौरा।

8. गुणवत्ता आश्वासन –

(1) मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति में कार्यक्रम(मों) की पेशकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थान निम्नवत कदम उठाएंगे, नामतः–

(i) इन नियमों के लागू होने के एक वर्ष के भीतर, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र की स्थापना की जाएगी;

(ii) अनुलग्नक **VII** में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे दिशानिर्देशों को विहित करने के लिए आयोग अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी बहु– मीडिया, मानव संसाधन, पाठ्यचर्या और अध्यापन में ज्ञान अर्जन सामग्रियों पर गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे तथा अपने गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को वेबसाइट पर डालेंगे।

(iii) नियमित अंतरालों पर अपने शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों और परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे;

(iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति यों के माध्यम से चलाए जा रहे अध्ययन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता, आयोग अथवा उपर्युक्त सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा यथा उपबंधित कक्षा अध्यापन के परंपरागत तरीकों के मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए;

(v) उच्च शिक्षा संस्थान, अधिनियम की धारा 22 और विनियमन 3 के उप–विनियमन (4) के खंड (झ) के तहत मान्यता के आदेश में अनुमेय केवल यथा विनिर्दिष्ट उपाधियां ही प्रदान करेगा। तथापि, उच्च शिक्षा संस्थान इस शर्त के अध्यधीन कि सभी प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम सांविधिक प्राधिकरणों अथवा संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों के निकायों द्वारा विधिवत्रूप से अनुमोदित किए गए हों तथा पढ़ाने की प्रणाली उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति यों के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों, केवल उस स्थिति में ही उच्च शिक्षा संस्थान प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करना जारी रख सकता है, इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थान (अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भेषजी, वास्तुशिल्प, भौतिक चिकित्सा विधाओं में कार्यक्रमों तथा किसी अन्य विनियमककारी प्राधिकरण द्वारा दूरस्थ पद्धति से चलाने हेतु वर्जित पाठ्यक्रमों के अलावा) पेशेवर कार्यक्रमों में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा की पेशकश कर सकता है, बशर्ते कि संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान ने पहले ही संबंधित सांविधिक विनियामककारी प्राधिकरणों अथवा परिषदों से ऐसे पाठ्यक्रमों को मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित करने के लिए उन्हें वास्तविक रूप में आरंभ करने से पूर्व अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए हों।

(vi) उच्च शिक्षा संस्थानों को संस्थान की वेबसाइट पर पेशेवर पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए संबंधित सांविधिक विनियामककारी प्राधिकरणों अथवा परिषदों से विधिवत्रूप से प्राप्त किए गए अनुमोदन पत्र की प्रति को प्रदर्शित करना होगा साथ ही संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान के ब्रोशर अथवा बुलेटिन में प्रत्येक पेशेवर प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के सम्मुख भी प्रदर्शित की जानी चाहिए तथा इस मामले में समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसकी जानकारी देनी चाहिए:

बशर्ते कि इन विनियमों के उल्लंघन के मामले में, विनियमन 4 के उप–विनियमन (3) के तहत विनिर्दिष्ट उपबंध लागू होंगे; और

(vii) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में शिक्षा तथा पढ़ाने से जुड़ी सुविधाएं तथा कार्यक्रम के ऑन–लाइन पद्धति से चलाए जाने की स्थिति में ज्ञान अर्जन संसाधन आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों पर खरे उतरते हों तथा वे कार्यक्रमों की संख्या तथा उनमें नामांकन के अनुरूप हो।

(2) मुक्त और दूरस्थ पद्धतियों में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला एक उच्च शिक्षा संस्थान, ज्ञान अर्जन को गति देने तथा शिक्षणार्थियों के लिए बहु विकल्प मुहैया करवाने के लिए निम्नवत को ध्यान में रखते हुए स्व– अध्ययन सामग्री तैयार करेगाः–

(i) स्व– अध्ययन सामग्री में स्पष्ट रूप से उद्देश्यों, वांछित परिणामों, अध्ययन मार्गदर्शन तथा शिक्षणार्थियों के लिए यह परामर्श कि सामग्री का किस प्रकार इष्टतम उपयोग किया जाए इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि ज्ञान अर्जन के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके तथा अन्य मीडिया (डिजीटल एसएलएम के लिए) के पाठ्य सामग्री के साथ इसके संबंध को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि सुलभता से संदर्भ ग्रहण किया जा सके तथा उन्नति की जा सके;

(ii) इसके द्वारा विकसित और पेशकश की गई स्व– अध्ययन सामग्री स्वतः– स्पष्ट, अपने आप में परिपूर्ण, उदाहरणों से परिपूर्ण, बोधगम्य, तथा इकाई तथा ब्लॉक आदि कम से कम मॉडयूलों में संकलित हो;

(iii) स्व– अध्ययन सामग्री, शिक्षणार्थियों को विषय के संबंध में उनके बोध पर प्रतिप्राप्ति देने के लिए पर्याप्त तंत्र मुहैया करवाती है;

(v) important schedules or date-sheets for admissions, registration, re-registration, counseling, assignments and feedback thereon, examinations, result declarations etc.;

(vi) detailed strategy plan related to On-line course delivery, if any including learning materials offered through On-line and learner assessment system and quality assurance practices of e-learning programmes;

(vii) the feedback mechanism on design, development, delivery and continuous evaluation of learner-performance which shall form an integral part of the transactional design of the Open and Distance Learning mode programmes and shall be an input for maintaining the quality of the programmes and bridging the gaps, if any;

(viii) information regarding any new programmes launched and those proposed for the next two years;

(ix) data of year-wise or programme-wise student enrolment details and degrees or certificates or diplomas or post graduate diplomas awarded;

(x) complete information about 'Self Learning Material' including name of the faculty who prepared it, when was it prepared and last updated, source of Self Learning Material, references of Self Learning Material, etc.;

(xi) a compilation of questions and answers under the head 'Frequently Asked Questions" with the facility of 'on-line' interaction with learners providing hyperlink support;

(xii) list of the 'Learner Support Centres' along with the number of students who shall appear at any examination centre and details of the Information and Communication Technology facilities available for conduct of examination in a fair and transparent manner;

(xiii) list of the 'Examination Centres' along with the number of students in each centre; and

(xiv) period of the admission process along with the academic session and dates of the term end examinations.

8. Quality Assurance—

(1) A Higher Educational Institution offering programme(s) in Open and Distance learning mode shall, take the following steps, namely :-

(i) establish a Centre for Internal Quality Assurance exclusively for programmes in the Open and Distance Learning mode within one year from the coming into force of these regulations;

(ii) follow the Quality Assurance Guidelines on learning materials in multiple media, human resources, curriculum and pedagogy, as specified by the Commission in **Annexure VII** or by any other agency authorised by it for prescribing such guidelines, and shall post its quality assurance mechanism on the website;

(iii) take adequate measures for training and capacity building of its teaching and administrative staff and counselors at regular intervals;

(iv) shall ensure that the quality of programmes of study offered through Open and Distance Learning mode are maintained at par with standards obtaining in the conventional mode of class-room teaching as provided by the Commission or the appropriate statutory authority;

(v) shall award only such degrees as specified under section 22 of the Act, and permitted in the Order of recognition under clause (i) of sub-regulation (4) of regulation 3. However, the Higher Educational Institutions may continue to offer Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma programmes subject to the condition that all the Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma programmes are duly approved by the statutory authorities or bodies of the respective Higher Educational Institutions and the delivery mechanism conforms to the quality standards of the Open and Distance learning education as specified by the Higher Educational Institutions and further, the Higher Educational Institutions may offer Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma in professional programmes (other than in engineering, medicine, dental, nursing, pharmacy, architecture and physiotherapy etc. and programmes not permitted to be offered in distance mode by any other regulatory authority) subject to the condition that the concerned Higher